FORM-I

(For linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Magistrate and Deputy Commissioner, Purvi Singhbhum, Jamshedpur

Memo No. 731/2015 Date 20-04-2015

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Total 10.957 Acres of forest land proposed to be diverted in favour of Power Grid Corporation 132 KV D/C Ramchandrapur to Jadugoda & 132 KV D/C Jadugoda to Dhalbhumgarh for the Establishment of Transmission Line Project in the state of Jharkhand (East Singhbhum District) falls within jurisdiction of the following Circle in Ghatsila Sub-division :-

(i) Musabani, Ghatsila, Dhalbhumgarh in Ghatsila Sub-division.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement for rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 has been carried out for the entire 10.957 Acres of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Village Forest Rights Committee, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.

(b) The diversion of forest land for above mentioned purpose does not attract provisions of section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006.

(c) The proposal does not involve recognize rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As above

20/04/2015

Signature

(Full name and official seal of the Deputy Commissioner)

DEPUTY COMMISSIONER
EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR

दिनांक–06.04.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तत्संबंधी नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, जादुगोड़ा से धालभूमगढ़ ट्रांसमिशन लाईन एवं 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार हैः–

## उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर ।
3. परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
4. अपर परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
5. श्रीमती सुमित्रा हेम्ब्रम, जिला परिषद् सदस्य, डुमरिया ।
6. श्री सुकलाल हेम्ब्रम, जिला परिषद् सदस्य, मुसावनी ।
7. श्री प्रदीप बेसरा, जिला परिषद् सदस्य, पटमदा ।

## कार्यवाही :–

1. Power Grid Corporation of India, Ltd का पत्र संख्या–ER1/JCP/JSR/F-610-86, दिनांक–13/07/2013 एवं ER1/JCP/JSR/F-610-209, दिनांक–07/09/2013 तथा पत्रांक– ER1/JCP/JSR/2014/1085, दिनांक–20/09/2014 द्वारा अनुरोध किया गया है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के लिए 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, जादुगोड़ा से धालभूमगढ़ ट्रांसमिशन लाईन एवं 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन स्थापित करने हेतु अनुमण्डल अन्तर्गत कुल–10.787 एकड़ वन भूमि का अपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।
2. Power Grid Corporation of India, Ltd के द्वारा वन भूमि का अपयोजन हेतु प्रस्ताव को सम्बन्धित ग्राम वन अधिकार समिति के समक्ष रखा गया तथा ग्राम वन अधिकार समिति की सहमति प्राप्त की गई है ।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पत्रांक 466/रा0 दिनांक 09/10/2014 के तहत Power Grid Corporation of India, Ltd के द्वारा बनायी जा रही 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, जादुगोड़ा से धालभूमगढ़ ट्रांसमिशन लाईन एवं 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन के लिए FRA 2006 के प्रावधानों के तहत वन भूमि अपयोजन के लिए अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के

बैठक की कार्यवाही उपलब्ध क ) गई है जिसमें निम्नांकित विवरणी की भूमि के )योजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गए दिनांक–24.09.2014 एवं 09.10.2014 को क्रमशः अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, घाटशिला में विचार–विमर्श किया गया एवं संबंधित भूमि के अपयोजन हेतु सहमति प्रदान की गई ।

4. उपरोक्त वर्णित वन भूमि जिसके अपयोजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति की सहमति प्राप्त है निम्न प्रकार है :–

(क) वन विभाग की भूमि :–

| क्रमांक | अंचल का नाम | ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की तिथि | मौजा | थाना नं0 | 1934–35 सर्वे खतियान के अनुसार | | 1964–65 सर्वे खतियान के अनुसार | | | | स्वामित्व | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्लॉट नं0 | किस्म जमीन | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा (एकड़) | किस्म जमीन | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | मुसावनी | 11.07.14 | ईचड़ा | 1103 | 271 | PF | 285 | 1546 | 0.17 | पुरानी परती | वन विभाग | |
| 1 | मुसाबनी | 12.07.14 | चाकुलिया | 87 | 523 | PF | 169 | 495 | 0.119 | पुरानी परती | वन विभाग | |
| | | 17.07.14 | तेरेंगा | 99 | 725 | PF | 219 | 1401 | 0.145 | सुरक्षित वन | वन विभाग | |
| | | | | | 637 | PF | 219 | 1402 | 0.005 | सुरक्षित वन | वन विभाग | |
| | | | | | 847 | PF | 219 | 1403 | 0.037 | सुरक्षित वन | वन विभाग | |
| | | 14.07.14 | बेनाशोल | 100 | 227 | PF | 234 | 225 | 0.304 | सुरक्षित वन | वन विभाग | |
| | | | | | 225 | PF | | 501 | 0.213 | सुरक्षित | वन विभाग | |
| | | | ईचड़ा | 1103 | 302 | PF | 285 | 1157 | 0.085 | पुरानी परती | अनाबाद झारखण्ड सरकार | |
| | | | | | | | | कुल | 1.078 | | | |
| 2 | घाटशिला | 06.07.14 | बड़ापहाड़ | 1107 | 41 | PF | 66 | 180* | 0.387 | पुरानी परती | वन विभाग | |
| | | | | | | | | कुल | 0.387 | | | |
| 3 | धालभूमगढ़ | 29.11.13 | जुनबनी | 170 | – | PF | 337 | 2648 | 0.558 | पुरानी परती काबिल आबाद | वन विभाग | |
| | | 30.11.13 | स्वर्गछिड़ा | 394 | 176 | PF | 51 | 103 | 0.234 | | वन विभाग | |
| | | – | शिरिशबनी | 404 | 11 | PF | 39 | 9 | 0.640 | PF | वन विभाग | |
| | | | | 404 | 77 | PF | 39 | 160 | 3.602 | PF | वन विभाग | |
| | | 07.10.14 | जोड़शोल | 405 | 1 | PF | 158 | 1 | 0.610 | जंगल | अनावाद झारखण्ड सरकार | |
| | | 07.10.14 | जोड़शोल | 405 | 3 | PF | 158 | 4 | 1.102 | जंगल | अनावाद झारखण्ड सरकार | |
| | | 7.10.14 | जोड़शोल | 405 | 127 | PF | 156 | 461 | 1.194 | पुरानी परती काबिल आबाद | कल्याण विभाग | चूंकि यह कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की जमीन है इसलिए इसपर वन |

Ramchandrapur – Jadugoda line

Jadugoda – Dalbhumgarh line

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | अधिकार समिति, घाटशिल अनुमण्डल का भूमि अपयोजन हेतु दावा नही बनता है । अतः जिला स्तरीय समिति इसे खारिज करती है । |
| कुल | | | | | | | | | | 7.940 | | |
| अद्यतन सर्वे खतियान 1964–65 के अनुसार कुल वन विभाग की भूमि | | | | | | | | | | 9.405 | | |

* उपर्युक्त सारणी के क्रमांक–2 ग्राम–बड़ापहाड़, थाना नं0–1107 अद्यतन सर्वे खतियान 1964–65 में अंकित नहीं है, परन्तु स्थल जाँच एवं नक्शा के आधार पर खतियान में अंकित प्लॉट नं0–280 के स्थान पर प्लॉट नं0–180 लिया गया है । अधियाचित प्लॉट नं0–180 है एवं किस्म जमीन पुरानी परती है ।

(ख) अनावाद बिहार (सम्प्रति झारखण्ड) सरकार की भूमिः–

Jadugoda Dalbhumgarh line.

| कमांक | अंचल का नाम | ग्राम वनाधिकार समिति की वैठक की तिथि अंचल का नाम | मौजा | थाना नं0 | 1934–35 सर्वे खतियान के अनुसार | | 1964–65 सर्वे खतियान के अनुसार | | | | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्लॉट नं0 | किस्म जमीन | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा (एकड़) | किस्म जमीन | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | मुसाबनी | 15.07.14 | रोआम | 91 | | जंगल–झाड़ी | 229 | 54 | 0.418 | जंगल–झाड़ी | अनाबाद झारखण्ड सरकार |
| | | 12.07.14 | चकुलिया | 87 | | जंगल–झाड़ी | 170 | 493 | 0.760 | जंगल–झाड़ी | अनाबाद झारखण्ड सरकार |
| | | | | | | जंगल–झाड़ी | 170 | 233 | 0.374 | जंगल–झाड़ी | अनाबाद झारखण्ड सरकार |
| | | | | | | | | | 1.552 | | |
| अद्यतन सर्वे खतियान 1964–65 के अनुसार कुल अनाबाद बिहार (सम्प्रति झारखण्ड) सरकार की भूमि | | | | | | | | | 1.552 | | |
| अद्यतन सर्वे खतियान 1964–65 के अनुसार कुल प्रस्तावित भूमि का रकवा | | | | | | | | | ~~10.872 एकड़~~ 10.957 | | |

5. अपयोजन के लिए उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित समस्त वन भूमि 10.957 एकड़ के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के पहचान और निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त की गई ।
6. उपरोक्त वर्णित वन भूमि का अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परात वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत नहीं आता है ।
7. उपरोक्त वर्णित वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ई) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों तथा पूर्व कृषि समुदाय के अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा की गई है ।

(1)

अतः घाटशिला अनुमण्डल अन्तर्गत उपरोक्त विवरणी की 10.957 एकड़ वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुमण्डल वन अधिकार समिति, घाटशिला के अनुशंसा के आलोक में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

सधन्यवाद बैठक कि कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

Sumitra hembrom 06/04/2015
श्रीमती सुमित्रा हेम्ब्रम
जिला परिषद् सदस्या, डुमरिया।

06/04/15
श्री सुकलाल हेम्ब्रम,
जिला परिषद् सदस्य, मुसाबनी।

श्री प्रदीप बेसरा,
जिला परिषद् सदस्य, पटमदा।

6/4/15
जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

6/4/15.

06/4/15
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

06/04/2015
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

5

2

**FORM-I**

**(For linear projects)**

**Government of Jharkhand**

**Office of the District Magistrate and Deputy Commissioner, Purvi Singhbhum, Jamshedpur**

**Memo No.** 730/2015 **Date** 20-04-2015

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Total 8.923 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Power Grid Corporation 132 KV D/C Ramchandrapur to Jadugoda for the Establishment of Transmission Line Project in the state of Jharkhand (East Singhbhum District) falls within jurisdiction of the following Circle in Dhalbhum Sub-division :-

(i) Potka & Jamshedpur in Dhalbhum Sub-division.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement for rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 has been carried out for the entire 8.923 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Village Forest Rights Committee, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.

(b) The diversion of forest land for above mentioned purpose does not attract provisions of section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006.

(c) The proposal does not involve recognize rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As above

20/04/2015

Signature

DEPUTY COMMISSIONER
EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR

(Full name and official seal of the Deputy Commissioner)

(7)

दिनांक–06.04.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तत्संबंधी नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है:–

## उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर ।
3. परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
4. अपर परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
5. श्रीमती सुमित्रा हेम्ब्रम, जिला परिषद् सदस्य, डुमरिया ।
6. श्री सुकलाल हेम्ब्रम, जिला परिषद् सदस्य, मुसावनी ।
7. श्री प्रदीप बेसरा, जिला परिषद् सदस्य, पटमदा ।

## कार्यवाही :–

1. Power Grid Corporation of India, Ltd का पत्रांक–244, दिनांक–28.08.2013, पत्रांक–1085, दिनांक–20.09.2014, पत्रांक–1272, दिनांक–30.01.2015, ER1/JCP/JSR/F-610-86, दिनांक–13/07/2013 एवं ER1/JCP/JSR/F-610-209 07/09/2013 द्वारा अनुरोध किया गया है कि दोनों अनुमण्डल अंतर्गत कुल–8.923 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।
2. Power Grid Corporation of India, Ltd द्वारा वन भूमि अपयोजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संबंधित ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष रखा गया तथा संबंधित ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त अपयोजन हेतु सहमति प्रदान की गई ।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 876 दिनांक 16/09/2014, पत्रांक–113, दिनांक–29.01.2015 एवं पत्रांक–173, दिनांक–12.02.2015 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–466/रा0, दिनांक–09.10.2014 के तहत् Power Grid Corporation of India, Ltd के द्वारा बनायी जा रही 132 के0वी0 द्वि–परिपथ, रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन FRA 2006 के प्रावधानों के तहत वन भूमि अपयोजन के लिए अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी गई है जिसमें निम्नांकित विवरणी की भूमि के अपयोजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गए सहमति पर दिनांक–13.09.2014, 27.01.2015 एवं 12.02.2015 को क्रमशः अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, धालभूम, जमशेदपुर में विचार–विमर्श किया गया एवं संबंधित भूमि के अपयोजन हेतु सहमति प्रदान की गई ।

Sumitra Hembrom

उपरोक्त वर्णित वन भूमि जिसके अपयोजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति की सहमति प्राप्त है निम्न प्रकार है :–

| क्र0 सं0 | अंचल का नाम | ग्राम वनाधिकार समिति की वैठक की तिथि | मौजा का नाम | थाना नं0 | प्लॉट नं0 | भूमि का प्रकार | अपयोजित भूमि का कुल रकवा हेक्टयर में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | हे0 में | एकड़ में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जमशेदपुर | 13.06.14 | तालसा | 1173 | 739 / 1191 नया | P.F | 0.22 | 0.55 |
| | | 13.06.14 | तालसा | 1173 | कम्पार्टमेंट नं0–1209 पुराना | R.F | 0.07 | 0.17 |
| | | 13.06.14 | तालसा | 1173 | कम्पार्टमेंट नं0–1717 पुराना | R.F | 1.99 | 4.92 |
| 2 | | 18.07.14 | तुरामडीह | 1181 | कम्पार्टमेंट नं0–388, 348 पुराना | R.F | 1.67 | 4.12 |
| 3 | | 19.07.14 | कुदादा | 1180 | कम्पार्टमेंट नं0–96 पुराना | R.F | 0.16 | 0.41 |
| 4 | पोटका | 13.08.14 | डोमजुड़ी | 1296 | 1420 / 1817 नया | P.F | 0.248 | 0.612 |
| 5 | | 11.08.14 | खुर्शी | 1300 | 03 / 136 नया | P.F | 0.076 | 0.188 |
| 6 | | 13.08.14 | मेचुआ | 1102 | 77 / 129 नया | P.F | 0.179 | 0.442 |
| 7 | | 12.08.14 | डुरकु | 1104 | 03 पुराना<br>48 / 971 | P.F | 1.363 | 3.365 |
| 8 | | 24.10.14 | डुरकु | 1104 | 61 नया | P.F | 0.059 | 0.146 |
| | | | | कुल वन भूमि | | | **6.035 हे0** | **14.923 एकड़** |

**(ख) अनावाद बिहार (सम्प्रति झारखण्ड) सरकार की भूमि :–**

| क्र0 सं0 | अंचल का नाम | ग्राम वनधिकार समिति की वैठक की तिथि | मौजा का नाम | थाना नं0 | प्लॉट नं0 | भूमि का किस्म | खतियान नं0 | अपयोजित भूमि का कुल रकवा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | हे0 में | एकड़ में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | जमशेदपुर | 13.06.14 | तालसा | 1173 | 1352 | जंगल झाड़ी | 319 | 0.047 | 0.12 |
| 2. | जमशेदपुर | 13.06.14 | तालसा | 1173 | 1354 | जंगल झाड़ी | 319 | 0.071 | 0.17 |
| 3. | जमशेदपुर | 13.06.14 | तालसा | 1173 | 1355 | जंगल झाड़ी | 319 | 0.946 | 2.34 |
| 4. | जमशेदपुर | 13.06.14 | तालसा | 1173 | 1635 | जंगल झाड़ी | 319 | 1.104 | 2.73 |
| 5. | जमशेदपुर | 19.06.14 | कुदादा | 1180 | 79 | साल जंगल | 153 | 0.230 | 0.56 |
| 6. | जमशेदपुर | 19.06.14 | कुदादा | 1180 | 79 / 1183 | साल जंगल | 153 | 0.490 | 1.20 |
| | | | कुल जंगल झाड़ी | | | | | **2.888 हे0** | **7.12 एकड़** |

4. अपयोजन के लिए उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित समस्त वन भूमि 8.923 हेक्टेयर के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के पहचान और निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त की गई ।

5. उपरोक्त वर्णित वन भूमि का अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत नहीं आता है ।

6. उपरोक्त वर्णित वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ई) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों तथा पूर्व कृषि समुदाय के अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा की गई है ।

अतः धालभूम, जमशेदपुर अनुमण्डल अन्तर्गत उपरोक्त विवरणी की 8.923 हेक्टेयर वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुमण्डल वन अधिकार समिति, धालभूम, जमशेदपुर के अनुशंसा के आलोक में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

सधन्यवाद बैठक कि कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

Sumitra hembrom 06/04/2015
श्रीमती सुमित्रा हेम्ब्रम,
जिला परिषद् सदस्या, डुमरिया ।

06/04/15
श्री सुकलाल हेम्ब्रम,
जिला परिषद् सदस्य, मुसावनी ।

श्री प्रदीप बेसरा,
जिला परिषद् सदस्य, पटमदा ।

अपर परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

6/4/15
परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

06/4/15
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर ।

06/04/2015
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

Annexure-

# ग्राम वन अधिकार समिति, ईचड़ा (मुसाबनी) की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 11/07/2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति ईचड़ा प्रखण्ड - मुसाबनी की बैठक ग्राम ईचड़ा में आहुत की गई, जिसमे 132 के.भी./डी.सी. रामचन्द्रपुर-जादुगोड़ा / 132 के.भी.डी / सी. जादुगोड़ा-घाटशिला ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा ईचड़ा थाना नं0 1103 प्लाट/खेसरा सं0 1546/-1157/285 संरक्षित वन भूमि रकबा 0.17, 0.085 एकड वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ईचड़ा में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ईचड़ा में आदिम जनजाति समुहो एव आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ईचड़ा मे वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एव संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 के.भी.डी./सी रामचन्द्रपुर-जादुगोड़ा/132 के.भी.डी. / सी. जादुगोड़ा- घाटशिला ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा ईचड़ा थाना नं0 1103 प्लाट/खेसरा सं0 1546/-,1157/285 संरक्षित वन भूमि रकबा 0.17, 0.085 एकड के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

11.07.14
ग्राम प्रधान
ग्राम ईचड़ा, पो०-जादुगोड़ा
प्रखंड-मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

Mondal
अध्यक्ष

सचिव
ग्राम वन अधिकार समिति
ईचड़ा, पो०-जादुगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम

ग्राम वन अधिकार समिति ईचड़ा के सदस्यो का हस्ताक्षर

(1) Sup Kumar Singh
(2) Bishwanath Singh
(3) अतिका सिंह
(4) बेहुला सिंह बेहुला सिंह
(5) आरवानी सिंह
(6) Nagendra Kumar Singh

10

ANNEXURE

ग्राम वन अधिकार समिति, तालसा ............ की बैठक की क[illegible]

दिनांक ............ को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति ........... जमशेदपुर की बैठक ग्राम तालसा ............ में आहुत की गई, जिसमे 220 के.भी.डी [illegible]पुर, चाईबासा / 132 के.भी.डी. / सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी [illegible] मौजा तालसा ............ थाना नं0 1173, 1193 खेसरा सं0– R.F./P.F. 1191/318 [illegible] वन भूमि रकवा 0.17, 4.920.55 एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :–

[illegible] सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तालसा ............ में अनुसूचित जनजा[illegible] अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 ए[illegible] संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तालसा ............ में आदिम जनजा[illegible] समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत [illegible] निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप [illegible] किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तालसा ............ में वन [illegible] अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी ([illegible] अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा –[illegible] [illegible] प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 220 के.भी.डी. / सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा / 132 [illegible] भी.डी. / सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा तालसा ............ थाना नं0 1173, 1193 खेसरा सं0– R.F./P.F. 1191/318 संरक्षित वन रकवा 0.17 4.920.55 एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आ[illegible] नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति तालसा ग्राम ............ के सदस्यों का हस्त[illegible]

1. Raja Murmu
2. Bir Singh Tudu — Bir Singh
3. Anil Kumar Murmu — Anil Kumar
4. Man Singh Tudu — मान सिं[illegible]
5. Moso Murmu — मोसो [illegible]
6. Duli Tudu — दुली टुडु
7. Ram Chandra Tudu — [illegible]
8. Hira Murmu — H. Murmu

[illegible stamp] 13/01/2014

11

ANN[redacted]

# ग्राम वन अधिकार समिति, ......तुरामडीह...... की बैठक की [redacted]

दिनांक......[illegible]...... को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति............................ [illegible] जगन्नाथपुर की बैठक ग्राम......तुरामडीह...... में आहुत की गई, जिसमें ~~220 के.भी.डी.~~ ~~/सी. रामचन्द्रपुर चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......तुरामडीह...... थाना नं0......1181...... खेसरा सं0–......R.F...... संरक्षित वन भूमि रकवा......4.12...... एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......तुरामडीह...... में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......तुरामडीह...... में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......तुरामडीह...... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर,~~ चाईबासा/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......तुरामडीह...... थाना नं0......1181...... खेसरा सं0–......R.F...... संरक्षित वन भूमि रकवा......4.12...... एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष
[signature]

ग्राम वन अधिकार समिति......तुरामडीह...... के सदस्यों का हस्ताक्षर

सचिव

(1) Arun Nayak. — [signature] Nayak.
(2) Umesh Chandra Nayak — U. C. Nayak
(3) Turi Paraya. — Turi Padiya
(4) Chamru Kunkal. — चमरु कुंकल
(5) Dukhu Kunkal. — DUKHU KUNK.
(6) Surendra Nayak. — सुरेन्द्र नायक
(7) Ganga Nayak — Ganga Nayak

12

AN[illegible]

# वन अधिकार समिति, ......कुदादा...... की बैठक की का[illegible]

दिनांक.................. को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति..........कुदादा........ प्रखण्ड – जमशेदपुर की बैठक ग्राम...........कुदादा.................... में आहुत की गई, जिसमें ~~220 के.भी.डी.~~/सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा.......कुदादा.............. थाना नं0...1180......... खेसरा सं0–..........R.F.,................ संरक्षित वन भूमि रकवा.......0.410 डी.... एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :-

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.........कुदादा............ में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......कुदादा............... में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से संक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...........कुदादा....................... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......कुदादा .................. थाना नं0....1180.......... खेसरा सं0–.....R.F.......................... संरक्षित वन भूमि रकवा....0.410 डी. एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

S. Sardar
अध्यक्ष, ग्राम वन अधिकार समिति, कुदादा

ग्राम वन अधिकार समिति..........कुदादा...... के सदस्यो का हस्ताक्षर

1. विनोदि [illegible] समाद
2. राजाराम मुर्मु
3. अजय बास्के
4. मोगाचो मुर्मु
5. मानसिंह टुडु
6. [illegible] समाद
7. S. Sardar
8. [illegible]
9. Bagun Majhi
10. [illegible]
11. मंगल मुर्मु
12. कालिपदो मुर्मु
13. [illegible] हाँसदा

दशरथ बेसरा
सचिव, ग्राम वन अधिकार समिति, कुदादा

13

ग्राम वन अधिकार समिति डोमजुड़ी.................. की बैठक की कार्य

दिनांक 13.08.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति डोमजुड़ी
प्रखण्ड -- ...... की बैठक ग्राम डोमजुड़ी.................. में आहुत की गई, जिसमें 132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. निर्माण हेतु मौजा डोमजुड़ी.............. थाना नं0 1296 खेसरा सं0- 404 ......... संरक्षित वन भूमि रकवा 0.612 एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :-

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोमजुड़ी.............. में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोमजुड़ी.................. में आदिम जनजा समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप रक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोमजुड़ी.............................. में वन अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -1 के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.इ.बी. के निमाण हेतु मौजा डोमजुड़ी .......... थाना नं0 1296 खेसरा सं0- 404 .................. संरक्षित वन रकवा 0.612 एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति डोमजुड़ी.............. के सदस्यों का हस्ता

13/08/2014
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम-डोमजुड़ी
ग्राम पंचायत-डोमजुड़ी

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम-डोमजुड़ी
ग्राम पंचायत-डोमजुड़ी
13/...

(1) Uday murmu

(2) Kumar Murmu

(3) Shankar Murmu

14

ग्राम वन अधिकार समिति, खुशी ............................ की बैठक की

दिनांक 12.08.2014 ...... को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति ...खुशी...
प्रखण्ड – पटमदा की बैठक ग्राम ...खुशी...................... में आहुत की गई, जिसमें
132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.
के निर्माण हेतु मौजा ...खुशी.................. थाना नं0 ...1300... खेसरा सं0– ...205...
संरक्षित वन भूमि रकवा ...0.188... एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :–

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...खुशी............ में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...खुशी............ में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से संरक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...खुशी............ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा –3 के उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि /132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.इ.बा. के निर्माण हेतु मौजा ...खुशी... थाना नं0 ...1300... खेसरा सं0– ...205... संरक्षित वन भूमि रकवा ...0.188... एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति ...खुशी... के सदस्यों का हस्ताक्षर

Hiralal Murmu
अध्यक्ष 12/08/2014
वन अधिकार समिति
ग्राम- खुशी
ग्राम पंचायत- [illegible]

[signature]
सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम- खु[illegible]
ग्राम पंचायत- [illegible]

1. Burhan Hansdah
2. Sushmita Hansdah
3. Raimani Hansda

15

आनुलग्नक -दो

## ग्राम वन अधिकार समिति, मेचुआ ............... की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 13.08.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति मेचुआ प्रखण्ड -- पोटका की बैठक ग्राम मेचुआ ......................... में आहुत की गई, जिसमें 132 के.भी.डी. / सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. निर्माण हेतु मौजा मेचुआ .................. थाना नं0 1102 खेसरा सं0-- 234 संरक्षित वन भूमि रकवा 0.442 एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :--

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मेचुआ .................. में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मेचुआ .................. में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से संक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मेचुआ .................. में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -- 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रारित किया गया कि 132 के.भी.डी. / सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.इ.बी. के निमाण हेतु मौजा मेचुआ .................. थाना नं0 1102 खेसरा सं0-- 234 .................. संरक्षित वन भूमि रकवा 0.442 एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति मेचुआ .................. के सदस्यो का हस्ताक्षर

Rampada Tudu
अध्यक्ष 13/08/2014
वन अधिकार समिति
ग्राम - मेचुआ, पो0 - जादुगोड़ा
पू0 सिंहभूम - 832102

Harsingh Deogam
सचिव
ग्राम वन अधिकार समिति
ग्राम - मेचुआ
पूर्वी सिंहभूम

1) [signature]

2) [signature] सोरेन

3) [signature] सोरेन

16

ग्राम वन अधिकार समिति, दुडकु.................... की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 12.08.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति दुडकु.................... प्रखण्ड – पोटका की बैठक ग्राम दुडकु.................... में आहुत की गई, जिसमें 132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा दुडकु.................... थाना नं0 1104 खेसरा सं0– 206 संरक्षित वन भूमि रकवा 3.365 एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :–

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुडकु.................... में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुडकु.................... में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से संरक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुडकु.................... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा – 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रारित किया गया कि /132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.इ.बा. के निर्माण हेतु मौजा दुडकु.................... थाना नं0 1104 खेसरा सं0– 206 संरक्षित वन भूमि रकवा 3.3.65 एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति दुडकु.................... के सदस्यों का हस्ताक्षर

सचिव 12/08/2014
(सचिव)
वन अधिकार समिति
ग्राम दुडकुटोला, वनडीह
पोटका–1

Laxmi Charan Singh 12/08/2014
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम दुडकुटोला, वनडीह
पोटका–1

1. Tailak Singh
2. Sukdeb Singh
3. Ajay Singh
4. [illegible]
5. Dilip Handa
6. [illegible]

17 AT ... 43

ग्राम वन अधिकार समिति, ........दुड़कू................ की बैठक की [illegible]

दिनांक...24.10.2014...... को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति.......दुड़कू.................. प्रखण्ड — जमशेदपुर की बैठक ग्राम..............दुड़कू...................... में आहुत की गई, जिसमें ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा............दुड़कू.................. थाना नं0.........1104....... खेसरा सं0–प्लाट-61, प्लाट-3, खतियान-181 प्रस्तावित वन भूमि रकवा..........0.146.......... एकड़ वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......दुड़कू.................... में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..........दुड़कू.......................... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से संरक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...........दुड़कू................................. में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा.....दुड़कू......... थाना नं0.......1104....... खेसरा सं0–प्लाट-61, प्लाट-3, खतियान-181 संबंधित वन भूमि रकवा.......0.146... एकड़ के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम वन अधिकार समिति.......दुड़कू................ के सदस्यों का हस्ताक्षर

Laxmi Chan Singh

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम दुड़कूटोला, वनडीह
पोटका-1

फागु हेम्ब्रम

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम दुड़कूटोला, वनडीह
पोटका-1

1. श्याम राम सोरेन

2. Manjuri Hor

3/ Taikle Singh

4/ मंगल सिंह

## वन अधिकार समिति, ......कुदादा...... की बैठक की कार्यवाही

दिनांक.........2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति......कुदादा...... प्रखण्ड -- जमशेदपुर की बैठक ग्राम......कुदादा...... में आहुत की गई, जिसमें ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/ 132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......कुदादा...... थाना नं0...1180... खेसरा सं0--...R.F. 79/79/1183 .153... संरक्षित ~~वन भूमि~~ रकबा......0.56 एकड़ साल जंगल / 1.20 एकड़ साल जंगल...... एकड़ ~~वन भूमि~~ जंगल झाड़ी से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति : -

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......कुदादा...... में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......कुदादा...... में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......कुदादा...... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/ 132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......कुदादा...... थाना नं0...1180... खेसरा सं0--...R.F. 79/79/1183 153... ~~संरक्षित वन भूमि~~ अनाबाद बिहार सरकार रकबा ...~~46/10 5/0~~... एकड़ के ~~वन~~ भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है । 0.56 एकड़ साल जंगल / 1.20 एकड़ साल जंगल

अध्यक्ष, ग्राम वन अधिकार समिति, कार्यालय कुदादा

(मुहर: अनुसूचित जनजाति वन अधिकार समिति, कुदादा वन समिति, पो०-थाना-सुन्दरनगर, जि०-पूर्वी सिंहभूम, 832107, जमशेदपुर-2)

ग्राम वन अधिकार समिति......कुदादा...... के सदस्यों का हस्ताक्षर

1. [signature]
2. राजाराम मुण्डा
3. उदय बास्के
4. [signature]
5. मानसिंह हेम्ब्रम
6. [signature]
7. S. Sardar
8. [signature]
9. Bagun Manjhee
10. [signature]
11. मंगल मुर्मू
12. [signature]
13. [signature]

सचिव, ग्राम वन अधिकार समिति, कार्यालय कुदादा

19

ANNEXURE-I/10

... अधिकार समिति, ....तालसा.......... की बैठक की ...

दिनांक ...13/6/14.......... को पूर्वाह्न 11.00 बजे ग्राम वन अधिकार समिति.......तालसा.............
...ड – जमशेदपुर की बैठक ग्राम........तालसा................ में आहुत की गई, जिसमें ~~220 के.भी.डी. /सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा......तालसा............. थाना नं0.....1173........ खेसरा सं0–....~~1191~~,1352,1354,1355,1635 ~~संरक्षित वन भूमि~~ अनाबाद बिहार सरकार जंगल झाड़ी रकवा ~~0.55~~ 0.12, 0.17, 2.34 (2.73 ए.) एकड़ ~~वन~~ जंगलझाड़ी भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ।

1. उपस्थिति :–

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.........तालसा................ में अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Statement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है ।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .......तालसा.............. में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.......तालसा.................. में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा –3(2) के तहत् प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~220 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, चाईबासा~~/132 के.भी.डी./सी. रामचन्द्रपुर, जादुगोड़ा ट्रान्समिशन लाईन जे.एस.ई.बी. के निर्माण हेतु मौजा तालसा .................., थाना नं0...1173.......... खेसरा सं0–...~~1191~~,1352,1354,1355,1635 ~~संरक्षित वन भूमि~~ अनाबाद बिहार सरकार जंगल झाड़ी रकवा ~~0.55~~ 0.12, 0.17, 2.34 (2.73 ए.) एकड़ के ~~वन~~ जंगल झाड़ी भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष
ईको विकास समिति
तालसा

ग्राम वन अधिकार समिति....तालसा ग्राम.......... के सदस्यों का हस्ताक्षर

1. Raja Murmu — Raja
2. Bir Singh Tudu — Bir Singh Tudu
3. Anil Kumar Murmu — Anil Kumar Murmu
4. Man Singh Tudu — मान सिंह टुडु
5. Moso Murmu — मोसो मुर्मू
6. Duli Tudu — दुली टुडु
7. Ram Chandra Tudu — [illegible]
8. Hira Murmu — H. Murmu

अध्यक्ष
ईको विकास समिति
तालसा
13/6/014